ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

13

पी०ए० केस सं०– 24 / 18–19

लखन मरंडी बनाम् रैयान, मौजा–खटंगी

–: **आदेश** :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक लखन मरंडी, पे0–स्व0 बाघराय मरंडी, सा0–मोहला, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा द्वारा मौजा–खटंगी नं0–84, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा का प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक प्रधान नियुक्ति के लिए योग्य है। आवेदक मौजा के अंतिम प्रधान का छरपोता है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 में आवेदक द्वारा प्रधान बहाली का दावा किया गया है। मौजा–खटंगी नं0–84 के रैयत भी आवेदक को चाहते हैं। आवेदक शिक्षित युवा सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। आवेदक का कोई अपराधिक छवि नहीं रहा है। सभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा आवेदक को प्रधान नियुक्ति में सहमति व्यक्त कर रहे हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 क तहत् प्रधान नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा–खटंगी नं0–84, अंचल–बोआरीजोर में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केस नं0–47 / 06–07 से चौदु पहाड़िया, पे0–मैसा पहाड़िया को प्रधान नियुक्त किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–60 के अनुसार :–

1. कमिश्नर पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप से अभिलेख करेंगे, किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वंय अथवा उनके पूर्वाधिकारी ने इस एक्ट द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारी के प्रयोग में दिया हो, पुनरीक्षण कर सकते हैं।
2. कमिश्नर के अधिनस्थ कोई अफसर, किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वंय दिया हो अथवा उसके पूर्वाधिकारी ने दिया हो, पुनरीक्षण नहीं करेगा ....।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत् प्राप्त नहीं है। अतः वाद को खारिज किया जाता है।

Spear
16.11.20

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।